कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1011 /11सी–हरदोई/20659, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 10 , 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः–हरदोई में पलिया–लखनऊ मार्ग (एस0एच0–25) किमी0 180–181 के मध्य दांयी पटरी पर ग्राम–खजूरमई के खसरा संख्या–349 पर इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रयोग, हरदोई की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रभागीय निदेशक, हरदोई द्वारा प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख/सूचनायें संलग्न की गयी है।

1. प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2. लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रति संलग्न है।
4. परियोजना की स्वीकृति एवं प्रस्तावित वनभूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
5. उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. मानक शर्तो के मान्य होने सम्बन्धी शासनादेश की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का डिजिटल मैप सी0डी0सहित, उक्त स्थल चिन्हित टोपोशीट व उक्त स्थल की उपयुक्तता संलग्न है।
9. क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रस्तावक की वचनबद्धता संलग्न है।
10. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की प्रस्तावक की वचनबद्वता संलग्न है।
11. चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र सलग्न है।
12. स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) की अनापत्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
13. FRA-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
14. प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मानचित्र सीडी0 सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15. प्रपत्र के भाग–2, 3, एवं 4 पर सक्षम अधिकारी की आवश्यक टिप्पणी/संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
16. On line data entry का Time Line Detail संलग्न है।

प्रस्ताव की एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की एक प्रति
सी0डी0सहित।

भवदीय,
10-11-16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या– / तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, लखनऊ।
3– सहायक प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल भवन, कपूरथला, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।